46–(08)–07–2026

पटना में दिनांक–03 जून, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ऊर्जा विभाग

1. बिहार स्टेट पावर (हो०) कं०लि० के अनुषंगी वितरण कंपनियों (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि०) के अन्तर्गत द्वि–स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता के 02 (दो) पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 02 (दो) पद सृजित करने के संबंध में। — **1.** स्वीकृत।

उद्योग विभाग

2. मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक (मधुबनी) प्राइवेट लिमिटेड, राजनगर रेलवे स्टेशन सोनवारी के नजदीक, परिहारपुर, मधुबनी को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — **2.** स्वीकृत।

उद्योग विभाग

3. वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित ''प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना'' का अवधि विस्तार भारत सरकार द्वारा 30 सितम्बर, 2026 तक किये जाने के फलस्वरूप उक्त अवधि में योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित व्यय की राशि ₹16451.60 लाख (एक सौ चौसठ करोड़ इक्यावन लाख साठ हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — **3.** स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

4. चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के तहत ''इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना'' हेतु केन्द्र सरकार के केन्द्रांश रूपये 18,72,55,000/– (अठारह करोड़ बहत्तर लाख पचपन हजार) तथा राज्यांश रूपये 12,48,37,000/–(बारह करोड़ अड़तालीस लाख सैंतीस हजार) अर्थात् कुल रूपये 31,20,92,000/–(इकतीस करोड़ बीस लाख बानवे हजार) मात्र राशि की लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में। — **4.** स्वीकृत।

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

5\. ''नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना'' योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नबीनगर, औरंगाबाद की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 2026–27 से 05 व्यावसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने, स्थापना हेतु कुल 38 (अड़तीस) पदों का सृजन तथा रूपये 211.89 लाख (रूपये दो करोड़ ग्यारह लाख नवासी हजार मात्र) प्रति वर्ष राशि का व्यय एवं भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड, नबीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएँ एकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **5. स्वीकृत।**

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

6\. सात निश्चय पार्ट–3 (2025–30) के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के संगठनात्मक आवश्यकताओं, उत्पादकता, कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 19 (उन्नीस) पदों के सृजन एवं अनुमानित रू० 224.37 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख सैंतीस हजार) प्रति वर्ष की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **6. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

7\. बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — **7. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

8\. ''बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली, 2026'' के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — **8. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

9\. मेसर्स वरूण वेभरेजेज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, नवानगर जिला–बक्सर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2) (iv) के आलोक मे वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — **9. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

10\. दरभंगा जिलान्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के लिए चयनित भूखंड में निकटवर्ती नदियों के उड़ाहीकरण से प्राप्त मिट्टी/गाद का उपयोग कर मिट्टी भराई एवं समतलीकरण कार्य करने हेतु जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति। — **10. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

11. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु अनापत्ति कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करने संबंध में। — **11.** स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को ईलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये से बढ़ाकर ₹4,00,000 (चार लाख) रूपये करने की स्वीकृति के संबंध में। — **12.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. कैमूर जिलान्तर्गत अंचल–मोहनियाँ के मौजा–दादर, थाना सं०–524, खाता सं०–127, खेसरा सं०–654 की कुल प्रस्तावित रकवा–07 एकड़ अर्जित अधिशेष भूमि पर डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र के निर्माण हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — **13.** स्वीकृत।